संख्या-143/2021/999/22-2-2021-17(547)/2021

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 11 अगस्त, 2021

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी भोला उर्फ करूणेश पुत्र श्री मनीराम, निवासी जनपद-इटावा की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-6762 /प्रोबेशन- 3/ फार्म- ए (एम-02-03-2021) दिनांक-15-03-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी भोला उर्फ करूणेश पुत्र श्री मनीराम, जो पालीखुर्द, थाना-भरथना, जनपद-इटावा का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 23-09-2005 को पुराने मुकदमें में राजीनामा की बात पर सहमत न होने पर 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक राय होकर अग्नेयास्त्र से कु0 शीला व रामप्रकाश नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-41/2006 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट), इटावा के आदेश दिनांक 30.07.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.09.2020 तक 14 वर्ष, 10 माह, 07 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष, 11 माह, 27 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, जनपद-इटावा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद-इटावा एवं जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-इटावा तथा जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-इटावा की अध्यक्षता में गठित समिति ने बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को प्रभावित करने, पुन: अपराध किये जाने के अवसर से इंकार नहीं किये जाने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने, दोनों पक्षों के मध्य विवाद पूर्णरूप से समाप्त नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 23-09-2005 को पुराने मुकदमें में राजीनामा की बात पर सहमत न होने पर 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अग्नेयास्त्र से कु0 शीला व रामप्रकाश नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने की संभावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता, दोनों पक्षों के मध्य विवाद पूर्ण रूप से समाप्त न होने, मृतक के परिजनों द्वारा समयपूर्व मुक्ति का विरोध किये जाने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, इटावा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी भोला उर्फ करूणेश पुत्र श्री मनीराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी भोला उर्फ करूणेश (बन्दी संख्या-25787) पुत्र श्री मनीराम, निवासी जनपद-इटावा के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-143/2021/999(1)/22-2-2021 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, इटावा।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-143/2021/999/22-2-2021-17(547)/2021

दिनांक 11 अगस्त, 2021 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी भोला उर्फ करूणेश पुत्र श्री मनीराम, जो पालीखुर्द, थाना-भरथना, जनपद-इटावा का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 23-09-2005 को पुराने मुकदमें में राजीनामा की बात पर सहमत न होने पर 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक राय होकर अग्नेयास्त्र से कु0 शीला व रामप्रकाश नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-41/2006 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट), इटावा के आदेश दिनांक 30.07.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.09.2020 तक 14 वर्ष, 10 माह, 07 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष, 11 माह, 27 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, जनपद-इटावा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद-इटावा एवं जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-इटावा तथा जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-इटावा की अध्यक्षता में गठित समिति ने बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को प्रभावित करने, पुन: अपराध किये जाने के अवसर से इंकार नहीं किये जाने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने, दोनों पक्षों के मध्य विवाद पूर्णरूप से समाप्त नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 23-09-2005 को पुराने मुकदमें में राजीनामा की बात पर सहमत न होने पर 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अग्नेयास्त्र से कु0 शीला व रामप्रकाश नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने की संभावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता, दोनों पक्षों के मध्य विवाद पूर्ण रूप से समाप्त न होने, मृतक के परिजनों द्वारा समयपूर्व मुक्ति का विरोध किये जाने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, इटावा द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी भोला उर्फ करूणेश पुत्र श्री मनीराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।